न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—400/2013/225 (2013/00055)

1. बशीरन पत्नि समसू खां,
2. सकूरन पत्नि इतबार खां,
   समस्त जाति देशवाली मुसलमान, नि0 ऊंटड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
3. गफूरन पत्नि भूरें खां, जाति मुसलमान देशवाली, निवासी कुचील, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. निसार अहमद खां पुत्र सवाई खां, जाति देशवाली मुसलमान, नि0 ऊंटड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. ग्राम पंचायत ऊंटड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत ऊंटड़ा, पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर तहसील व जिला अजमेर ।
3. उप पंजीयक, अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
5. बिस्मिल्लाह पत्नि सिकन्दर खां,
6. अशरफ पुत्र सिकन्दर खां,
   दोनों जाति मुसलमान, निवासी रूपनगढ़ रोड़, पुलिया के पास, चमड़ा घर मदनगंज—किशनगढ़, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर दिनांक 23.9.2013 अंतर्गत प्रकरण संख्या 165/2012.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 5 व 6 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4.
4. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के आदेश दिनांक 23.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ऊंटड़ा, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 132

रकबा 3–9–00 सिकन्दर खां पुत्र नाथू खां की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजी है, सिकन्दर खां पुत्र नाथू खां के दिनांक 14.4.1976 को ग्राम ऊंटड़ा में अविवाहित फौत होने के पश्चात् सिकन्दर खां के वारिसान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ही सिकन्दर खां के सगे भाई सवाई खां के पुत्र–पुत्री होकर सिकन्दर खां के वारिसान है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 सिकन्दर खां की उपरोक्त विवादित आराजी को तन्हा अकेले के नाम दर्ज करवाने पर आमादा है जबकि विवादित आराजी में प्रार्थीगण का भी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बराबर हक, अधिकार व हिस्सा निहित है । विवादित आराजी अविभाजित भूमि है तथा सिकन्दर खां की विरासत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 एवं 4 से मिलकर स्वंय के नाम दर्ज करवा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर, रहन, बेचान, मुंतकिल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी मदाखलत तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने के इरादे से झगड़ा व फसाद करने तथा बिना दुरूस्ती एवं बंटवारा करवाये वादग्रस्त आराजी को विक्रय करने से ताफैसला अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 23.9.2013 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस सवाई खां की पुत्रियां होकर सवाई खां के सगे भाई नाऔलाद फौत सिकन्दर खां की खातेदारी भूमि की रेस्पो0 संख्या 1 के साथ विधिक वारिसान होकर बराबर हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारणी है । रेस्पो0 संख्या 5 व 6 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई तथा न ही कथन किया गया कि अपीलांटस नाऔलाद फौत सिकन्दर खा के सगे भाई सवाई खां की पुत्रियां नहीं है । जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांटस के पक्ष में सिद्ध होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 27.2.2013 में रेस्पो0 संख्या 5 व 6 को मृतक सिकन्दर खां का वारिस नहीं माना है जिससे रेस्पो0 संख्या 5 व 6 का सिकन्दर की आराजी से कोई संबंध नहीं है वहीं अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 नाऔलाद फौत सिकन्दर खा के सगे भाई के वारिसान होकर मृतक सिकन्दर खां के प्राकृतिक वारिसान है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित था । विवादित आराजी पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं रेस्पो0 संख्या 5 व 6 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । बहस में आगे कथन किया कि बसन्ती पत्नि सिकन्दर खां ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर ग्राम ऊंटड़ा निवासी सिकन्दर खां पुत्र नाथू खां की अपने–आप को पत्नि बताकर अपना नाम बिस्मिल्लाह बताते हुए न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि बिस्मिल्लाह पत्नि सिकन्दर खां निवासी ऊंटड़ा नहीं है । बसन्ती पत्नि सिकंन्दर खां के नाम से आवेदन पत्र केक्रम संख्या 606 कार्ड संख्या 11606 नगर पालिका किशनगढ़ द्वारा राशन कार्ड जारी किया गया है

जिसमें बसन्ती पत्नि सिकन्दर खां निवासी पुलिस चौकी के सामने, रूपनगढ़ रोड़, किशनगढ़ अंकित है तथा स्वंय बसन्ती द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपने आप को बसन्ती पत्नि सिकन्दर खां अंकित किया है इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त बसन्ती द्वारा अपने आप को सिकन्दर खां निवासी ऊंटड़ा, की पत्नि बिस्मिल्लाह होना अंकित कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में हस्तक्षेप किया है इसी कारण अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 5 व 6 को मृतक सिकन्दर खां निवासी ऊंटड़ा का वारिस मानकर पक्षकार नहीं बनाया है बल्कि मात्र सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु पक्षकार बनाया है । अधी0न्याया0 ने इन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 व 6 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 5 मृतक खातेदार की पत्नि तथा रेस्पो0 संख्या 6 पुत्र होकर सिकन्दर खां के विधिक वारिसान है । अपीलांटस ने रेस्पो0 संख्या 5 व 6 को उनके हकों से महरूम रखने के उद्देश्य से वाद में पक्षकार नियुक्त नहीं किया है जबकि रेस्पो0 संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार सिकन्दर खां के विधिक वारिसान है । रेस्पो0 संख्या 5 व 6 ने अपने कथनों की पुष्टि में मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की प्रतियां पेश की है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस ने वाद एवं प्रार्थना पत्र में मृतक सिकन्दर खां का सजरा पेश नहीं किया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांटस के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विवाद मृतक सिकन्दर खां की आराजियात को लेकर है । इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 आपस में सगे भाई बहन है । सिकन्दर खां पुत्र नाथू खां की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नंबर 132 रकबा 3–9–00 बीघा ग्राम उंटड़ा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है । सिकन्दर खां पुत्र नाथू खां का अविवाहित नाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है । अपीलांटस का कथन है कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार सिकन्दर खां की आराजी अकेले अपने नाम दर्ज करवाने पर आमादा है जबकि खातेदार सिकन्दर खां का अविवाहित होकर नाऔलाद फौत होने से उसके भाई सवाई खां के पुत्र एवं पुत्रियां समान रूप से वारिसान होकर प्रत्येक का विवादित आराजी में बराबर–बराबर हक व हिस्सा है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें मृतक खातेदार सिकन्दर खां के उत्तराधिकार का निर्धारण बाद साक्ष्य होगा तब तक विवादित आराजी एवं पक्षकारों के हितों की सुरक्षा किया जाना न्यायालय का विधिक दायित्व था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.9. 2013 को निरस्त किया जाता है विवादित आराजीएवं पक्षकारान के हितों की सुरक्षा हेतु उभयपक्षकारान को ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर